

	<p style="text-align: center;">भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA</p> <p style="text-align: center;">वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE</p> <p style="text-align: center;"><b>कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर</b></p> <p style="text-align: center;">OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE): JODHPUR</p> <p style="text-align: center;">मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 HQRS.: N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005 (TECHNICAL CELL) (तकनीकी शाखा)</p>	 <p style="text-align: center;">सत्यमेव जयते</p>
---	---	---

**DIN:** 20250275NJ000000C2E8

### सार्वजनिक सूचना संख्या- 05/2025

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(1) और 141(2) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुग्रीव मीना, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर 'मेसर्स अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड' को इनलैंड कंटेनर डिपो, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान में प्राप्त किये गए आयातित माल, जब तक कि इन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी न दी जाए या गोदाम में रखे न जाएं, या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय VII और VIII के प्रावधानों के अनुसार भेजे न जाएं और निर्यात माल, उनके निर्यात तक उक्त इनलैंड कंटेनर डिपो में जांच और संग्रह के लिए लाया गया हो, के संरक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ।

In exercise of the powers conferred upon me under Sections 45(1) and 141(2) of the Customs Act, 1962, 1, Sugrive Meena, Principal Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur, hereby appoint 'M/s. Adani Logistics Ltd.' to be the Custodian of the imported goods received at the Inland Container Depot, located at Kishangarh, Ajmer, Rajasthan, until these are cleared for home consumption, or are warehoused, or are transshipped in accordance with the provisions of Chapter VII and VIII of the Customs Act, 1962, and of the export cargo brought into the said Inland Container Depot for examination and stuffing, till their exportation.

२. इसके अतिरिक्त, 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में माल संभालने के नियम, 2009' के नियम 10 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुग्रीव मीना, प्रधान आयुक्त (निवारक), सीमा शुल्क, जोधपुर, 'मेसर्स अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड' को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आई.सी.डी., किशनगढ़ के पूरे सीमा शुल्क क्षेत्र के लिए 'सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता' के रूप में स्वीकृति देता हूँ, जो किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान में स्थित है:

Further, in exercise of the powers conferred upon me under Regulation 10 of the "Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009", I, Sugrive Meena, Principal Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur, approve 'M/s. Adani Logistics Ltd.' as the 'Customs Cargo Service Provider' for the entire Customs Area of ICD, Kishangarh located in Kishangarh, Ajmer, Rajasthan, subject to the following conditions:

- i. संरक्षक, मेसर्स अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड जिसे उक्त आई.सी.डी., किशनगढ़ के लिए सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता के रूप में स्वीकृति दी गई है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(2), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की अन्य सभी प्रावधानों और 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में माल संभालने के

नियम, 2009' के संशोधित नियमों का पालन करेगा। संरक्षक, इस संबंध में समय-समय पर सी.बी.आई.सी./प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा जारी किए गए नियमों, प्रावधानों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, सार्वजनिक सूचनाओं और आदेशों का पालन करेगा।

The Custodian, 'M/s. Adani Logistics Ltd.' approved as Customs Cargo Service Provider for the said ICD, Kishangarh shall comply with the provision of Section 45(2) of Customs Act, 1962, all other provisions of the Customs Act, 1962 and the Regulations of the 'Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009' as amended. The Custodian shall abide by and follow such Rules, Regulations, Notifications, Circulars, Public Notices and Orders issued by the CBIC/Principal Commissioner/Commissioner of Customs from time to time in this regard.

ii. संरक्षक, आयातित माल की उचित प्राप्ति, देखभाल और भंडारण के लिए जिम्मेदार होगा और लैंडिंग के बाद और स्वीकृति से पहले आयातित माल के नुकसान के लिए और निर्यात/ट्रांसशिपमेंट के लिए जिम्मेदार होगा।

The Custodian shall be accountable for the proper receipt, handling and storage of imported goods and shall be accountable for the loss of imported goods after the landing and before clearance, as well as goods meant for export/transshipment.

iii. यदि कोई आयातित माल संरक्षक के परिसर में अनलॉडिंग के बाद चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(3) के प्रावधानों के अनुसार, उन्हें ऐसे चोरी हुए माल पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा।

If any imported goods are pilfered or lost after unloading in the premises of the custodian, then in terms of provision of Section 45(3) of Custom act, 1962, they shall be liable to pay the duty applicable on such pilfered goods.

iv. संरक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्यात माल को शिपमेंट के पोर्ट तक सुरक्षित रूप से पहुँचाया जाए और संरक्षक परिवहन के दौरान किसी भी चोरी, नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

The Custodian shall also ensure safe transport of export goods to the port of shipment and shall be responsible for any pilferage loss, damage in transit.

v. सीमा शुल्क क्षेत्र में योजना में कोई भी परिवर्तन प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। यदि संरक्षक सीमा शुल्क क्षेत्र के अंदर या उससे जुड़े किसी भी कार्य को अन्य को सौंपना चाहता है, तो यह प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त

(निवारक), जोधपुर की पूर्व स्वीकृति से ही किया जाएगा। संरक्षक उक्त एजेंसी की लापरवाही और कार्यों के लिए जिम्मेदार रहेगा।

No alteration of the plan in the Customs area, shall be made without the concurrence of the Principal Commissioner/Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur. In case, the Custodian wishes to sublet any of the functions inside the Customs Area or connected with customs area, the same should be done with the prior approval of the Principal Commissioner/Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur. The Custodian shall remain responsible for the omissions and commissions of the said agency.

vi. संरक्षक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सभी नियमों और प्रावधानों का पालन करेगा, साथ ही 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में माल संभालने के नियम, 2009' के नियम 5 और 6 के प्रावधानों का समय-समय पर संशोधित रूप में पालन करेगा।

The Custodian shall abide by all the Rules and Regulations under the Customs Act, 1962 read with the provisions of Regulations 5 and 6 of the Handling of Cargo in Customs Area Regulations, 2009 as amended time to time.

vii. संरक्षक, आयातित माल पर लागू सीमा शुल्क की औसत राशि और निर्यात माल के मूल्य का 10% के बराबर बॉन्ड जारी करेगा, जो सीमा शुल्क क्षेत्र में 30 दिनों की अवधि के दौरान भंडारित होने की संभावना है, जिसे संरक्षक भविष्य में यदि औसत भंडारित माल में वृद्धि होती है, तो बढ़ा देगा।

The Custodian shall execute bond equal to the average amount of duty involved on the imported goods and 10% of value of the export goods likely to be stored in the Customs area during a period of 30 days, which the Custodian shall enhance if the average goods stored are increased in future.

viii. संरक्षक, सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडारित होने वाली माल की औसत मूल्य के बराबर एक बीमा प्रदान करेगा, जो परियोजित क्षमता के आधार पर है, और उन मालों को ध्यान में रखते हुए एक राशि भी प्रदान करेगा जो पहले ही आयातकों या निर्यातकों द्वारा बीमित किए गए हैं, जैसा कि एच.सी.सी.ए.आर., 2009 के नियम 5(1)(iii) के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि प्रधान आयुक्त / सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

The Custodian shall provide an insurance for an amount equal to the average value of goods likely to be stored in the Customs area based on the projected capacity and for an amount as the Principal Commissioner / Commissioner of Customs may specify having regard to the goods which have already been insured by the importers or exporters as stipulated under Regulation 5(1) (iii) of HCCAR, 2009.

ix. संरक्षक, सीमा शुल्क अधिकारियों की लागत को वहन करेगा जो लागत पुनर्प्राप्ति आधार पर पोस्ट किए गए हैं और एच.सी.सी.ए.आर., 2009 और परिपत्रों में निर्धारित दरों और तरीके से भुगतान करेगा। संरक्षक, परिपत्रों में निर्धारित अनुसार, पदों के निरंतरता के लिए समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

The Custodian shall bear the cost of the Customs officers posted on cost recovery basis and shall make payments at such rates and in the manner prescribed in HCCAR, 2009 and Circulars. The Custodian shall timely submit proposals for continuation of posts on cost recovery, well in advance as prescribed in Circulars.

x. मेसर्स अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड की 'संरक्षक' और 'सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता' के रूप में नियुक्ति की अवधि सूचना की तारीख से दो वर्षों तक वैध रहेगी, जब तक कि उक्त अवधि समाप्त होने से पहले इसे निलंबित, रद्द या वापस न लिया जाए।

The duration of the appointment of 'M/s. Adani Logistics Ltd.' as 'Custodian' and as 'Customs Cargo Service Provider' shall remain valid for two years from the date of Notification unless otherwise suspended, revoked or cancelled prior the expiry of the said period.

xi. प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर के पास मेसर्स अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड की 'संरक्षक' और/या 'सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता' के रूप में नियुक्ति की समीक्षा करने का अधिकार होगा, यदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का सामान्य रूप से और/या 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में माल संभालने के नियम, 2009' का विशेष रूप से पालन नहीं किया जाता है, तो यह समीक्षा दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले की जा सकती है।

The Principal Commissioner/Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur, shall have the right to review the appointment of 'M/s. Adani Logistics Ltd.' as 'Custodian' and/or as 'Customs Cargo Service Provider' before the completion of two years, in case of failure to comply with the provisions of the Customs Act, 1962 in general and/or the 'Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009' in particular.

xii. संरक्षक, आई.सी.डी. के संचालन शुरू होने से पहले प्रवेश और निकासी द्वारों पर आर.एफ.आई.डी. (रेडियो आवृत्ति पहचान स्कैनर की स्थापना और ई-ट्रेड प्रणाली के साथ एल.डी.बी. (लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक) का एकीकरण सुनिश्चित करेगा, ताकि सीमा शुल्क, आई.सी.डी, रेलवे और संबंधित पक्षों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए कंटेनरों की मूवमेंट की वास्तविक समय में ट्रैकिंग हो सके।

The Custodian shall ensure the installation of RFID (Radio Frequency Identification) scanners at the entry and exit gates in the ICD and the integration of LDB (Logistics Data Bank) with the E-trade system for Electronic Data Interchange between Customs, ICDs, Railways and

stakeholders for real time tracking of the containers movement before the commencement of operations.

xiii. आई.सी.डी. में तैनात अधिकारियों के लिए लिंग-उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं जल आपूर्ति, कैंटीन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। संरक्षक को सीमा शुल्क द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त स्थान और बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था करनी चाहिए।

Adequate arrangements must be made for gender-appropriate sanitary facilities, water supply, canteen facilities, and other facilities as specified by the Competent Authority for officers stationed at the ICD. The custodian must provide for increased space and infrastructure as requisitioned by Customs.

xiv. सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत जब्त, निरोधित या ज़ब्त किए गए माल के लिए कोई किराया या विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा।

No rent or demurrage shall be charged for goods seized, detained, or confiscated by the Customs Department under the Customs Act, 1962, or any other prevailing law.

xv. संरक्षक, माल को किसी भी अनुचित तरीके से हटाने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे हटाने पर उचित शुल्क, कर, आदि का देय होगा।

The Custodian shall be responsible for any improper removal of goods and liable for appropriate duties, cess, etc., on such removals.

xvi. बिना दावा किए गए, अप्रशिक्षित या परित्यक्त माल को नब्बे दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, और यदि पर्याप्त कारण हो, तो आयुक्त द्वारा इस अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

Unclaimed, uncleared or abandoned goods must be disposed of within ninety days, with the possibility of extension by the Commissioner for sufficient cause.

xvii. वे माल जो सीमा शुल्क स्टेशन पर अनलोडिंग की तारीख से 30 दिनों के भीतर घरेलू उपभोग के लिए या गोदाम में रखे या ट्रांसशिप्ट नहीं किए जाते हैं या यदि आयातित/निर्यातित माल पर अधिकार त्याग दिया जाता है, तो ऐसे माल को, आयातक/निर्यातक को सूचित करने के बाद और उचित अधिकारी की अनुमति से, संरक्षक द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के तहत बेचा जा सकता है।

The goods which are not cleared for home consumption or warehoused or transshipped within 30 days from the date of unloading at a Customs Station or within such further time as the proper officer may allow or if the title to any imported / export goods is relinquished, such goods

may, after notice to the importer / exporter and with the permission of the proper officer be sold by the person having the custody thereof as laid down under Section 48 of the Customs Act, 1962.

Signed by  
Sugriva Meena  
Date: 21-02-2025 18:40:21  
(सुग्रीव मीना)  
प्रधान आयुक्त

**प्रतिलिपि:** मेलिंग सूची के अनुसार।

डाक सूची :

1. मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली क्षेत्र, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली।
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीजीएसटी, जयपुर क्षेत्र, जयपुर
3. जोधपुर (निवारक) सीमा शुल्क आयुक्तालय के सभी अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त।
4. राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव, राजस्थान चेंबर भवन, एम.आई. रोड, जयपुर
5. संयुक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के डीजीएफटी, तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
6. मेसर्स अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सिरसले के पास, एसएजी हाईवे, खोडियार, हेमदाबाद, गुजरात-382421
7. अध्यक्ष, राजस्थान कस्टम्स हाउस एजेंट एसोसिएशन, एफएफ-3, तिरूपति ट्रेड सेंटर, 4 संसार चंद्र रोड, जयपुर
8. सभी पीटीएफसी/व्यापार संघ
9. जोधपुर सीमा शुल्क वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अधीक्षक/प्रणाली
10. सूचना पट्ट



*Muk*  
24/02/2025  
(Mukesh Chaudhary)  
AO/Technical